मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 1701/2000

अपीलार्थी :	परसादीराम पिता बिहाऊराम उम्र 29 वर्ष ,
(जेल में)	निवासी बिरेझर थाना मोहला, जिला राजनादगांव,
	वर्तमान में डोंडी, थाना डोंडी, जिला दुर्ग, मध्य प्रदेश

बनाम

प्रत्यर्थी :	मध्य प्रदेश राज्य

सत्र प्रकरण क्रमांक 91/2000

दाण्डिक अपील अंतर्गत धारा 374 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

युगल पीठ

माननीय न्यायाधीश श्री एल.सी. भादू एवं

माननीय न्यायाधीश श्री. धीरेंद्र मिश्रा,

16.11.2006

अपीलार्थी की ओर से : श्री डी.आर. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री बी.डी. बड़गैया, अधिवक्ता।

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से : श्री यू.एन.एस. देव, अतिरिक्त लोक अभियोजक सहित श्री अखिल मिश्रा, पैनल अधिवक्ता।

पीठ पर मौखिक निर्णय सुनाया गया।

द्वारा एल.सी. भादू, न्यायाधीश।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह अपील सत्र प्रकरण क्रमांक 91/2000 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बालोद, जिला दुर्ग द्वारा दिनांक 6 मई 2000 को पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके अंतर्गत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास से दण्डित किया था।

अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि मृतका के पिता एवं अभियुक्त के ससुर अभियोजन साक्षी क्रमांक–1 बनऊराम ने पुलिस थाना डोंडी में शिकायत दर्ज कराई कि 'आज शाम करीब 4 बजे वह अपने घर पर था। अभियुक्त के पुत्र ने आकर बताया कि उसके पिता कुल्हाड़ी से उसकी मां पर हमला कर रहे हैं, इस पर वह अभियुक्त के घर गया। उसने देखा कि उसकी पुत्री सुशीला पड़ी हुई थी, सिर पर चोट लगने से खून बह रहा था, इसलिए वह सुशीला को अस्पताल ले गया।

इस शिकायत को प्राप्त करने के बाद, थाना प्रभारी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत अपराध कारित किए जाने के संबंध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श–पी/1) पंजीकृत किया और घटनास्थल के लिए रवाना हुए, जहां से अपराध में प्रयुक्त हथियार अर्थात कुल्हाड़ी को प्रदर्श–पी/3

के द्वारा कब्जे में लिया गया। अभियुक्तों द्वारा मेमोरेंडम कथन प्रदर्श–पी/2 दिया गया। सादी मिट्टी और खून से सनी मिट्टी को प्रदर्श–पी/4 के द्वारा कब्जे में लिया गया। मृतका के शव का परीक्षण डॉ. वी.के. साव ने किया, जिन्होंने शवपरीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श–पी/6 तैयार किया। सुशीला के शरीर पर चोटों की जांच डॉ. एल.एल. मारकंडे ने की, जिन्होंने जांच प्रतिवेदन प्रदर्श–पी/7 तैयार किया। जांच अधिकारी द्वारा पंचों को सूचना(प्रदर्श–पी/10) देने के बाद सुशीला के शरीर की मृत्यु समीक्षा (प्रदर्श–पी/11) तैयार की गई।

अन्वेषण पूरी होने के बाद, अभियुक्त के विरुद्ध न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, बालोद के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को उपार्पित कर दिया, जहां से मामला विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को विचारण हेतु स्थानांतरण पर प्राप्त हुआ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप को प्रमाणित करने के लिए 11 गवाहों का परीक्षण कराया है। अभियुक्त का कथन दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 313 के अंतर्गत अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में उसके विरुद्ध पेश की गई सामग्री को इनकार किया। अंत में, उसने कहा कि वह निर्दोष है और उसे अपराध में झूठा फंसाया गया है।

विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने संबंधित अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेखों के अवलोकन के पश्चात अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए उपरोक्तानुसार दण्डित किया।

हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

श्री शर्मा ने सुशीला की मृत्यु को मानववध होने से इनकार नहीं किया है। मृतका के शव का परीक्षण करने वाले अभियोजन साक्षी क्रमांक–4 डॉ. वी.के. साव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पार्श्विका क्षेत्र पर 3" का कटा घाव था, स्कैपुलर क्षेत्र पर 1.5" का एक और कटा हुआ घाव था, चोटें मृत्यु–पूर्व प्रकृति की थीं, टेम्पोरल और पार्श्विका हड्डी में फ्रैक्चर था, मस्तिष्क बाहर आ गया था, सिर पर चोट लगने के कारण सदमा और रक्तस्राव हुआ था। मृत्यु मानववध प्रकृति की थी। उनका प्रतिवेदन प्रदर्श–पी/6 है। इसलिए, उपरोक्त चिकित्सीय साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए, यह स्थापित होता है कि मृतका की मृत्यु मानववध प्रकृति की थी।

जहां तक अभियुक्त/अपीलार्थी की अपराध में संलिप्तता का प्रश्न है, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अभियुक्त को केवल अभियोजन साक्षी क्रमांक–3 बिसंभर के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया गया है, जिसने यह कथन किया है कि उसने अभियुक्त को सड़क पर भागते हुए देखा था। उपरोक्त तथ्य से कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, जब तक कि किसी अन्य साक्ष्य द्वारा सम्पुष्टि न की गई हो कि अभियुक्त ही संबंधित अपराध का सूत्रधार था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि कुल्हाड़ी की बरामदगी जो कि अभियुक्त के मेमोरेंडम कथन पर आधारित बताई जा रही है, सही नहीं है क्योंकि संबंधित कुल्हाड़ी घटनास्थल से जब्त की गई थी, जहां वह पड़ी थी, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि कुल्हाड़ी अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद की गई थी।

इसके विपरीत, राज्य/प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विश्लेषण करने के लिए हमने साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन साक्षी क्रमांक–3 बिसंभर ने कहा है कि शाम करीब 4 बजे उसने अभियुक्त को गली में दौड़ते हुए देखा। वह तुरंत अभियुक्त के घर गया, उसने देखा कि उसका बेटा रो रहा था, अभियुक्त की पत्नी लेटी हुई थी, उसके सिर पर चोट थी और खून बह रहा था। बच्चा 6–7 साल का था। उसने बताया कि उसके पिता ने उसकी मां पर कुल्हाड़ी से हमला किया है, इसके बाद वह बनाऊ के घर गया और उसे सूचना दी। अभियोजन साक्षी क्रमांक–1 बनाऊराम, जो मृतका का पिता और अभियुक्त का ससुर है, ने कहा है कि घटना वाले दिन शाम करीब 4 बजे मृतका का बेटा आया और उसे बताया कि उसके पिता ने उसकी मां पर कुल्हाड़ी से हमला किया है और भाग गए हैं। इस पर वह अभियुक्त के घर गया, तो देखा कि उसकी पुत्री सुशीला पड़ी थी, सिर से खून बह रहा था। वह उसे अस्पताल ले गया तथा शिकायत प्रदर्श–पी/1 दर्ज कराई। पटवारी द्वारा तैयार नज़री नक्शा (प्रदर्श–पी/16) के अनुसार अभियोजन साक्षी क्रमांक–3 बिसंभर का मकान अभियुक्त के मकान से सटा हुआ है। उसने अभियुक्त को गली में भागते हुए देखा जिससे उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ, वह तुरन्त अभियुक्त के घर गया जहां

उसने देखा कि सुशीला घायल अवस्था में पड़ी थी तथा उसके सिर से खून बह रहा था। अभियुक्त के पुत्र, बाल साक्षी ने उसे बताया कि उसके पिता ने उसकी माता पर कुल्हाड़ी से हमला किया है। अभियुक्त ने इस साक्षी की गवाही के उत्तर में कहा है कि यह गलत है। इस साक्षी की प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई भी तथ्य अभिलेख पर नहीं लाया गया जिससे यह पता चले कि इस साक्षी की वास्तव में अभियुक्त से कोई दुश्मनी थी तथा इसी कारण उसने उसे झूठे मामले में फंसाने के लिए उसके विरुद्ध गवाही दी थी। इसलिए, इस गवाह के इस साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि उसने अभियुक्त को सड़क पर भागते हुए देखा था। इसके अलावा, एक पड़ोसी होने के नाते इस गवाह द्वारा अभियुक्त को गली में भागते हुए देखना स्वाभाविक था। वह तुरंत अभियुक्त के घर गया और देखा कि सुशीला घायल अवस्था में पड़ी थी। इस गवाह के इस आशय के साक्ष्य को इस तथ्य से समर्थन मिलता है कि अभियोजन साक्षी क्रमांक–1 बनाऊराम को तुरंत सूचित किया गया था जो घटनास्थल पर आया और उसने देखा कि उसकी बेटी घायल अवस्था में पड़ी थी और वह उसे अस्पताल ले गया। इसलिए, अभियुक्त द्वारा यह झूठा स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस गवाह ने उसे भागते हुए नहीं देखा। अपने बयान में उसने यह नहीं बताया कि वह अपनी पत्नी की हत्या के बारे में कैसे अनभिज्ञ था, क्योंकि हत्या उसके घर में की गई थी। इसलिए, यह उसका कर्तव्य था कि वह उन परिस्थितियों को स्पष्ट करे जिनमें अपराध किया गया था और वह इसमें शामिल नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जैसा कि **त्रिमुख मारोती किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2006 ए.आई.आर. एस.सी.डब्लू** 5300 के मामले में हाल ही में दिए गए निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि "इसका मतलब यह नहीं है कि गुप्त रूप से या घर के अंदर किए गए अपराध को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई अपराध घर के अंदर और ऐसी परिस्थितियों में होता है, जहां हमलावरों को उस समय और अपनी पसंद की परिस्थितियों में अपराध की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का पूरा अवसर मिलता है, तो अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए साक्ष्य पेश करना बेहद मुश्किल होगा, अगर परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सख्त सिद्धांत पर न्यायालयों द्वारा जोर दिया जाता है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। एक न्यायाधीश केवल यह देखने के लिए दाण्डिक विचारणों का संचालन नहीं करता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाए। एक

न्यायाधीश यह भी सुनिश्चित करने के लिए संचालन करता है कि कोई दोषी व्यक्ति बच न जाए। जहां हत्या जैसा अपराध घर के अंदर गुप्त रूप से किया जाता है, वहां मामले को प्रमाणित करने का प्रारंभिक भार निस्संदेह अभियोजन पक्ष पर होगा, लेकिन आरोप को प्रमाणित करने के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति और मात्रा उसी स्तर की नहीं हो सकती है, जैसी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अन्य मामलों में आवश्यक होती है। यह भार तुलनात्मक रूप से हल्का होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार घर के निवासियों पर अपराध कैसे किया गया, इस बारे में एक ठोस स्पष्टीकरण देने का भार होगा। घर के निवासी केवल चुप रहकर और कोई स्पष्टीकरण न देकर बच नहीं सकते, क्योंकि उनका मानना है कि अपने मामले को प्रमाणित करने का भार पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर है और किसी भी अभियुक्त पर कोई स्पष्टीकरण देने का कोई कर्तव्य नहीं है। कोई स्पष्टीकरण न देने या गलत स्पष्टीकरण देने की स्थिति में यह परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी होगी।"

अभियुक्त का यह आचरण कि अपराध करने के तुरंत बाद वह घटनास्थल से भाग गया, साक्ष्य अधिनियम की धारा–8 के अंतर्गत ग्राह्य है। उसने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह अपने घर से क्यों भागा, उसके घर में किस प्रकार अपराध किया गया, इसलिए यह स्थापित होता है कि वह ही अपराध का सूत्रधार था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियोजन साक्षी क्रमांक–1 बनाऊराम और अभियोजन साक्षी क्रमांक–3 बिसंभर का यह साक्ष्य कि उन्हें अभियुक्त के लगभग 6–7 वर्ष के बेटे द्वारा तत्काल सूचित किया गया था कि उसकी माँ पर उसके पिता ने कुल्हाड़ी से हमला किया है, साक्ष्य अधिनियम की धारा–6 के अनुसार सुसंगत हैं, भले ही अभियोजन पक्ष द्वारा उसकी परीक्षा न कराई गई हो। धार 6 में यह परिकल्पना की गई है कि हालांकि 'जो तथ्य विवाद्यक न होते हुए भी किसी विवाद्यक तथ्य से उस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं'। घटना के तुरंत बाद अभियुक्त के बेटे द्वारा अभियोजन साक्षी क्रमांक–3 बिसंभर और उसके दादा अभियोजन साक्षी क्रमांक–1 बनाऊराम के समक्ष किया गया प्रकटीकरण घटना के तथ्य से इतना संसक्त था कि यह उसी संव्यवहार का भाग बन गया और यह साक्ष्य अधिनियम की धारा–6 के अंतर्गत ग्राह्य है। यह प्रकटीकरण स्वैच्छिक था न की अभियोजन साक्षी क्रमांक–1 और अभियोजन साक्षी क्रमांक–3 द्वारा पूछताछ किए जाने पर। बच्चे द्वारा अभियोजन साक्षी

क्रमांक–1 और अभियोजन साक्षी क्रमांक–3 के समक्ष किया गया प्रकटीकरण एक ही संव्यवहार(रेस–गेस्टे) के रूप में स्वीकार्य है। एक ही संव्यवहार (रेस–गेस्टे) सुनी–सुनाई बातों के नियम का अपवाद है। बयान को एक ही संव्यवहार (रेस–गेस्टे) मानने के लिए यह याद रखना होगा कि बयान उचित, समसामयिक और स्वतःस्फूर्त होना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर में दिए गए बयान को अपवर्जित रखा जाना चाहिए। इसके लिए हम **ए.आई.आर. 1974 सुप्रीम कोर्ट 778 में प्रकाशित सावल दास बनाम बिहार राज्य** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से अपने दृष्टिकोण को पुष्ट करते हैं। उस मामले में, अभियुक्त सावल दास, उसके पिता और माता पर उसकी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया गया था। मृतक को कमरे के अंदर धकेल दिया गया था। उसने कमरे के अंदर "बचाओ बचाओ" चिल्लाया बच्चों द्वारा लगाई गई चीखों के उक्त भाग को एक गवाह द्वारा सुना गया जिसने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया कि उसने बच्चों की चीखें सुनीं और वे यह कह रहे थे कि उनकी मां को या तो मारा जा रहा है या मारा जा चुका है। तीसरे व्यक्ति के उक्त साक्ष्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–6 के अंतर्गत स्वीकार्य माना गया, भले ही अभियोजन द्वारा अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में उस बाल साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वर्तमान मामले में, अभियोजन साक्षी क्रमांक–3 बिसंभर के साक्ष्य के अनुसार, जब उसने अभियुक्त को गली में भागते देखा, पड़ोसी होने के नाते, वह तुरंत अभियुक्त के घर गया, मृतका के लगभग 6–7 वर्ष के बेटे ने स्वेच्छा से उसे बताया कि अपनी पिता ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला किया है, इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय और साक्ष्य अधिनियम की धारा–6 के अनुसार, यह साक्ष्य अधिनियम की धारा–6 के अंतर्गत ग्राह्य है। इसलिए, तथ्य यह है कि अभियुक्त को अभियोजन साक्षी क्रमांक–3 बिसंभर ने गली में घर से भागते देखा था, वह तुरंत अभियुक्त के घर गया और देखा कि उसकी पत्नी घायल हालत में पड़ी थी, अभियुक्त के बेटे ने स्वेच्छा से प्रकटीकरण किया कि उसके पिता ने उसकी मां पर कुल्हाड़ी से हमला किया है, उपरोक्त परिस्थितियां निर्णायक रूप से स्थापित करती हैं कि अभियुक्त प्रश्नगत अपराध का सूत्रधार था और केवल यही अखंडनीय निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियुक्त प्रश्नगत अपराध का सूत्रधार था

जहाँ तक कुल्हाड़ी की बरामदगी का प्रश्न है, चूँकि कुल्हाड़ी घटनास्थल से बरामद की गई थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि कुल्हाड़ी अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद की गई थी।

उपर्युक्त कारणों से, हमारा मत है कि सुशीला की हत्या के लिए अभियुक्त को दोषसिद्ध करने वाला विचारण न्यायालय का निर्णय किसी भी तरह से अवैध या त्रुटिपूर्ण नहीं है। अपील गुणहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है और इसे तदनुसार खारिज किया जाता है।

सही/–
एल.सी. भादू
न्यायाधीश

सही/–
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated by : Vinay Awasthi, Advocate